GR-292/10, TR-1685/19

26/03/19

अभियुक्त (1) मंगलेश्वर राम (2) उमेश राम (3) सुरेश राम (4) लाल मोहन राम (5) हितेन राम (6) नथुनी राम (7) अखिलेश राम (8) छेदी राम (9) विलास राम (10) हरेंद्र राम की ओर से नवीनशक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान सहायक लोक अभियोजक को दी गई । वाद पुकारा गया । पुकार पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर दाखिल जमानत के बिन्दु पर कथन करते हैं कि आवेदकगण निर्दोष हैं और इन्होंने कोई घटना कारित नहीं किया है । प्राथमिकी में लगाए गए सभी आरोप झुठा एवं बनावटी हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध 02/08/13 को धारा 341, 323, 342, 504, 34 भा० द० वि० के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया है, जो सभी धाराएं जमानतीय है। अभियुक्तगण संज्ञान पूर्व जमानत पर थे तथा संज्ञान के पश्चात इनकी प्रथम उपस्थिति है। अतः अभियुक्तों को जमानत दिया जाए ।

अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण न्यायालय में आत्मसमर्पण किए हैं । इन्हें अभिरक्षा में लिया जाता है । अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 341, 323, 342, 504, 34 भा० द० वि० के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया है। अभियुक्तों का संज्ञान के पश्चात प्रथम उपस्थिति है, जो सभी धाराएं जमानतीय है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्तों को मो० 4000/- रु० के समान राशि के एक प्रतिभु द्वारा बधंपत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि अभियोग के सारांश तक सदैह उपस्थित रहेगें।

लेखापित

न्या० दण्डा० प्रथम श्रेणी
मुजफ्फरपुर (पश्चिमी)

बाद में

26/03/19

उपरोक्त आदेशानुसार दस अभियुक्तों की ओर से बंधपत्र दाखिल किया गया जिसे जांचोपरान्त सही पाकर स्वीकृत किया जाता है। अभियुक्तों को अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है।

लेखापित

न्या० दण्डा० प्रथम श्रेणी
मुजफ्फरपुर (पश्चिमी)